न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

जमानत आवेदन संख्या–252/2026

(चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025)

गोलू सिंह – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

17.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **गोलू सिंह**, जो चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025, धारा 191(2),191(3),190,126(2),115(2), 117(2),109,303(2),352,351(2),351(3) बी0एन0एस0 एवं 27 श0अ0 के अंतर्गत दिनांक 26.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उसके आवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय गाँधी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री भाषानन्द प्रसाद को सुना। मूल अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे गलत रूप से इस वाद में संलिप्त किया गया है। आवेदक कोई अन्य जमानत आवेदन किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही लम्बित है। आवेदक का स्वच्छ छवि है। आवेदक दिनांक 26.11.2025 से कारा अभिरक्षा में है। उभय पक्षों के बीच जमीन का विवाद है। इस वाद के अभियुक्त बिगुल सिंह अपने जमीन पर घर का निर्माण करा रहा था जिसका सूचक द्वारा विरोध किया जाने लगा, जिसके लिये पंचायत हुई, लेकिन सूचक पंचायती को नहीं माना और आवेदक के भाई विकास कुमार को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके लिये उसकी माँ ममता देवी के द्वारा चौथम थाना काण्ड संख्या 181/2025 सूचक वगैरह के विरूद्ध दर्ज कराया गया है तथा उसी वाद से बचने के लिये फायरिंग का झूठा आरोप लगाते यह बनावटी वाद दर्ज कराया गया है। आवेदक के विरूद्ध फायरिंग का कोई आरोप नहीं है। सह–अभियुक्त को बी0ए0 नम्बर 913/2025 में पारित आदेश से जमानत दियाा गया है तथा आवेदक का वाद भी उसी के समान स्तर का है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

17.4.26

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से यह है कि दिनांक 07.07.2025 को समय करीब 07.00 बजे सुबह में 1.बिगुल सिंह उर्फ रंजय, 2.रंजीत सिंह, 3.पिंकू सिंह, 4.इन्दल सिंह, 5.संजय

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
जमानत आवेदन संख्या-252/2026
(चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025)
गोलू सिंह - बनाम- बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार,पेज-2
17.04.2026

सिंह उर्फ बादल सिंह, 6.राजा कुमार, 7.घनश्याम सिंह, 8.बलराम सिंह, 9. शिवशंकर सिंह, 10. वरूण सिंह, 11. अमन कुमार, 12. गोलू कुमार, 13. विकाश कुमार, 14. हितेश सिंह सभी साकिन मोहनपुर वार्ड नम्बर 10, थाना चौथम, जिला खगड़िया अपने-अपने हाथ में हरवे-हथियार से लैश होकर आये और उसके बासडीह जमीन पर जबर्दस्ती मकान बनाना शुरू कर दिये, जब वह मकान बनाने से रोका तो सभी व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुये मारपीट करना शुरू कर दिया तथा सभी कहा कि चलो ठाकुरबाड़ी के पास मकई लूट-पाट कर लेंगे और उसी से केस मुकदमा लड़ लेंगे। उपरोक्त व्यक्तियों ने थ्रीनट, लाठी, लोहे के पाईप लेकर ठाकुरबाड़ी के पास पहुँचकर वहाँ रखा 500 बोड़ा एवं बगल में रखा 400 बोड़ा मकई लूट-पाट करने लगे तथा बिगुल सिंह उर्फ रंजय ने जान मारने के नियत से उसके उपर गोली चला दिया, लेकिन वह बाल-बाल बच गया तथा उपरोक्त व्यक्तियों ने रड एवं खंती से उसके सिर को बुरी तरह जख्मी कर दिया तथा 15. ममता देवी पति बिगुल सिंह उर्फ रंजय सिंह ने धमकी देते हुये बोली कि अधमरू मत छोड़ो सभी को जान से मार दो एवं उसके गले से सोने का चकती मारपीट के क्रम में छीन लिया।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध ऑमनिबस रूप से सूचक को गाली-गलौज एवं मारपीट करने तथा मकई लूटपाट करने का आरोप है। किसने किस चीज से किसे मारा यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। गोली चलाने का आरोप विशिष्ठ रूप से सह-अभियुक्त बिगुल सिंह के उपर है तथा उस गोली से किसी को कोई जख्म होने की बात नहीं बताया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 2, 7 एवं 8 में गवाहों ने बासडीह की जमीन पर मकान बनाने को लेकर उभय पक्षों के बीच घटना होना बताया है। कंडिका 34 में पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसमें जमीन पर घर बनाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच लाठी, डंडा से मारपीट होने एवं आवेदक पक्ष की ओर से भी काण्ड संख्या 181/2025 दर्ज कराया जाना आया है। काण्ड दैनिकी में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें जख्मी नरेश सिंह का जख्म प्रतिवेदन में उसके बायें तरफ सिर में दर्द एवं बाँह में सूजन होना पाया गया है

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

जमानत आवेदन संख्या–252/2026

(चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025)

गोलू सिंह – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार,पेज–3

17.04.2026

तथा सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर दिये गये पूरक जख्म प्रतिवेदन में जख्म को गम्भीर होना बताया गया है तथा अन्य जख्मी रमेश सिंह, सोनी देवी, चाँदनी देवी, पुतुल देवी एवं दिनेश सिंह के जख्म को साधारण प्रकृति का होना पाया गया है। दोनों पक्ष आपस में गोतिया हैं एवं जमीन का विवाद है तथा आवेदक की ओर से भी उसी दिन की घटना को लेकर सूचक पक्ष के विरूद्ध पलटा वाद चौथम थाना काण्ड संख्या 181/2025 दर्ज कराया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। गोली चलाने वाले को अभियुक्त को नियमित जमानत एवं अन्य कई सह–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक दिनांक 26.11.2025 से इस वाद में कारा अभिरक्षा में है।

6. अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो जमानतदारों द्वारा बंधपत्र दाखिल करने एवं विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धित)

17-4-26

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

Date of Judgment/Order	17-04-2026
Date of Reserving judgment/Order	—
Uploading Date	20.04.26
Uploaded by	Nikhil [illegible]